Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 48/2021 सी.आई.एस.क्र.– 48/2021

प्रीतम कुमार एवं अन्य बनाम उमेश यादव एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
29.08.2025	वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत संशोधन आवेदन दिनांक 03.07.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा वाद पत्र में त्रुटिवश वाद भूमि में 2/3 भाग हेतु यह विभाजन वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायहित में संशोधित कर 1/2 भाग किया जाना आवश्यक है तथा निवेदन है कि अनुतोष – ए में 2/3 भाग को विलोपित कर 1/2 भाग को संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। प्रतिवादी के द्वारा उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर न देकर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद अभी प्रारंभिक स्तर पर है तथा इस वाद में विचारण का प्रारंभ नहीं हुआ है और ना ही वादी के द्वारा चाहे गये संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित होती है। ऐसी दशा में न्यायहित में वादी के इस आवेदन को **स्वीकृत** कर वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह 14 दिनों के भीतर उक्त संशोधन करे। वाद आगामी दिनांक 25.09.2025 वास्ते 89 दिवानी प्रक्रिया संहिता हेतु। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	